संलग्नक-1

फैक्स/महत्वपूर्ण

रिज़वान अहमद,
आई0पी0एस0

दूरभाष: 0522.2287241, 2287242(का0)
2720929(आ0)
9454400129(मो0)

अ0शा0पत्र सं0:पीआर-30-212/2013(9823)
पुलिस महानिदेशक रेलवे
उत्तर प्रदेश लखनऊ
दिनांक: अक्टूबर, 2013

प्रिय, श्री गुप्ता,

जैसा कि आप विदित है कि हावड़ा-अमृतसर एक्सप्रेस में रेलवे स्टेशन लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर पर दैनिक यात्रियों द्वारा महिलाओं के साथ की गयी छेड़-छाड़ एवं पथराव की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 48/2011 के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ, लखनऊ में योजित याचिका संख्या 9543 (एम0बी0) 2011 (पीआईएल) में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए रेलगाड़ियों से यात्रा कर रहे अधिकृत यात्रियों के लिए अवरोध रहित एवं अपराध मुक्त यात्रा हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में आपके कार्यालय से विस्तृत पत्राचार पूर्व से प्रचलित है।

2- जैसा कि आप अवगत हैं कि उक्त प्रकरण की सुनवाई करते हुए दिनांक 27 अगस्त 2013 को मा0 उच्च न्यायालय ने प्रायोगिक तौर पर लखनऊ से नई दिल्ली के बीच चलने वाली 12419 /12420 गोमती एक्सप्रेस के आरक्षित कोचों में यात्रा करने वाले अधिकृत यात्रियों को दैनिक यात्रियों (Seasonal Ticket Holers/MST Holders) से होने वाली असुविधा/अव्यवस्था से मुक्त (Hassle Free) कराये जाने हेतु निर्देशित किया है।

3- सामान्त: ट्रेन में स्कोर्ट ड्यूटी के लिए राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा 02 कान्स0 या 01 हेड कान्स0 एवं 03 लगाये जाते हैं। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए ट्रेन नं0 12419 /12420 गोमती एक्सप्रेस के अप एवं डाऊन दोनों ट्रेनों में दिनांक 10-9-2013 से 01 उपनिरीक्षक एवं 10 कान्स0 (कुल 2 उपनिरीक्षक एवं 20 कान्स0) को स्कोर्ट डियूटी के लिए राजकीय रेलवे पुलिस उ0प्र0 द्वारा लगाया जा रहा है। अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को स्कोर्ट डियूटी में लगाने का उद्देश्य यह है कि इन पुलिस कर्मियों द्वारा यात्रीगण की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा साथ ही जब कभी भी इन ट्रेनों की चेकिंग हो तो चेकिंग स्टाफ को पर्याप्त सुरक्षा मिल सके तथा बिना टिकट यात्रियों के विरूद्ध कार्यवाही करने में रेलवे के टी0टी0ई0, कण्डक्टर को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

4- आप अवगत ही है कि यदि कोई टिकट धारक/ MST Holder यदि अधिकृत कोच के स्थान पर किसी अन्य कोच से यात्रा करता है तो रेलवे प्रशासन के विधानों/नियमों के अन्तर्गत उसे बिना टिकट यात्री मानकर उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाती है। बिना टिकट यात्रियों के विरूद्ध यात्रा करने का अधिकार मात्र रेलवे प्रशासन को है एवं राजकीय रेलवे पुलिस को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अत: इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या: पीआर-30-212/2011 दिनांक 9-9-2013 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा मण्डल रेल प्रबन्धक उत्तर रेलवे लखनऊ/ मुरादाबाद, एवं मण्डल रेल प्रबन्धक उ0म0 रेलवे आगरा/ इलाहाबाद से रेलवे /आर0पी0एफ0/जी0आर0पी0 की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग कराकर आरक्षित कोचों में अनाधिकृत प्रवेश करने वाले (एम0एस0टी0 धारक) को आरक्षित कोचों में अनाधिकृत

अधिकारियों को निर्देशित करने के लिए पूर्व में ही अनुरोध किया जा चुका है। परन्तु अभी तक इस तरह के चेकिंग अभियान नहीं चलाये गये हैं।

5- उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में दिनांक 19-11-2013 को पुनः मा0 उच्च न्यायालय के सम्मुख अधोहस्ताक्षरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रकरण में की गयी कार्यवाही से अवगत कराना है। यदि गोमती एक्सप्रेस को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में (Hassle Free) बनाने के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत कार्यवाही नहीं की जाती है तो मा0 उच्च न्यायालय के सम्मुख विषम स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।

6- अतः अनुरोध है कि मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कृपया आप अपने स्तर से ट्रेन नं0- 12419 /12420 गोमती एक्सप्रेस में अधिकृत यात्रियों के लिए (Hassle Free) बनाने विषयक चेकिंग अभियान चलाने के लिए अपने अधीनस्थों को निर्देशत करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा सम्बन्धित राजकीय रेलवे पुलिस के अधिकारियों को पूर्व में विस्तृत निर्देश निर्गत किया जा चुका है कि आवश्यकतानुसार रेलवे के चेकिंग स्टाफ को अपना पूरा सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें। इन चेकिंग के दौरान अनाधिकृत यात्रियों के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही करने के लिए विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कराने के विषय पर विचार करने का कष्ट करें।

मैं अनुग्रहीत होऊँगा यदि आप मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ट्रेन नं0-12419 /12420 गोमती एक्सप्रेस में अधिकृत रेल यात्री विशेषकर महिलाओं की सुविधा एवं सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त प्रयोग को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करने का कष्ट करेंगे।

संलग्नक: यथोपरि।

सादर,

भवदीय,

25/11/13

(रिज़वान अहमद)

श्री विजय कुमार गुप्ता,
महा प्रबन्धक,
उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाऊस,
नई दिल्ली।

प्रतिलिपि-

मण्डल रेल प्रबन्धक, उत्तर रेलवे लखनऊ / दिल्ली को इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्र संख्या: पीआर-30-212/2011 दिनांक 9-9-2013 के कम में पुनः इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने अधीनस्थ सम्बन्धित अधिकारियों को ट्रेन नं0 12419/12420 गोमती एक्सप्रेस में नियमित रूप से टिकट चेकिंग करने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें। उक्त रेलवे चेकिंग दल को ट्रेन पर नियुक्त पर्याप्त संख्या मे नियुक्त जीआरपी कर्मियों द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा जिसके लिए उन्हें पहले से ही निर्देशित किया जा चुका है।

2- मुख्य सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल, उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाऊस नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।